न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—345/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00212)

1. शम्भूदयाल पुत्र नाथूलाल, जाति बलाई निवासी बलाईयों का मौहल्ला ग्राम बांस्खोह, तहसील बस्सी हाल निवासी प्लॉट नम्बर 15, गौतम नगर, टोंक रोड़, जयपुर।
2. घनश्याम पुत्र नाथूलाल, जाति बलाई, निवासी बलाईयों का मौहल्ला ग्राम बांस्खोह तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल निवासी गौतम नगर टोंक रोड़ जयपुर समस्त जरिये मुख्त्यार खास गौरीशंकर अग्रवाल पुत्र श्री प्रभू नारायण अग्रवाल जाति महाजन निवासी ए–49, श्योपुर रोड़ सांगानेर जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. भगोती देवी पत्नी रामनाथ।
2. शुभम पुत्र रामोतार,
3. चंचल पुत्री रामोतार,
4. बंदना पुत्र रामोतार,
5. मायादेवी पत्नी रामोतार समस्त जाति बलाई निवासीयान बांस्खोह हाल निवासी प्लाट नम्बर 302, गौतम नगर टोंक रोड़ जयपुर।
6. घासीराम पुत्र कल्याण, जाति बलाई निवासी बांस्खोह तहसील बस्सी जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः—346/16 (आरसीएमएस नं. 2016/000214)

1. शम्भूदयाल पुत्र रामचन्द्र,
2. कैलाश पुत्र रामचन्द्र,
3. बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र, समस्त जाति बलाई, निवासी बलाईयों का मौहल्ला ग्राम बांस्खोह तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल निवासी गौतम नगर टोंक रोड़ जयपुर समस्त जरिये मुख्त्यार खास गौरीशंकर अग्रवाल पुत्र श्री प्रभू नारायण अग्रवाल जाति महाजन निवासी ए–49, श्योपुर रोड़ सांगानेर जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. भगोती देवी पत्नी रामनाथ।
2. शुभम पुत्र रामोतार,
3. चंचल पुत्री रामोतार,
4. बंदना पुत्र रामोतार,
5. मायादेवी पत्नी रामोतार समस्त जाति बलाई निवासीयान बांस्खोह हाल निवासी प्लाट नम्बर 302, गौतम नगर टोंक रोड़ जयपुर।
6. घासीराम पुत्र कल्याण, जाति बलाई निवासी बांस्खोह तहसील बस्सी जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

अपील सख्याः–409/16 (आरसीएमएस नं. 2016/00176)

1. भगवती देवी पत्नी रामनाथ।
2. माया देवी पत्नी श्री रामोतार
3. शुभम पुत्र रामोतार, नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती माया देवी पत्नी श्री रामोतार।
4. वंदना पुत्र रामोतार, नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती माया देवी पत्नी श्री रामोतार।
5. चंचल पुत्री श्री रामोतार नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती माया देवी पत्नी श्री रामोतार समस्त जाति बलाई निवासीयान बांस्खोह हाल निवासी प्लाट नम्बर 302, गौतम नगर टोंक रोड़, जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. घासीराम पुत्र कल्याण, जाति बलाई निवासी बासखोह तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. शम्भू दयाल पुत्र श्री रामचन्द्र, जाति बैरवा, निवासी प्लाट नम्बर–6, गौत्तम नगर, जयपुर।
3. कैलाश पुत्र श्री रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी प्लाट नम्बर–6, गौत्तम नगर जयपुर।
4. बाबूलाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी प्लाट नम्बर–6, गौत्तम नगर, जयपुर।
5. घनश्याम पुत्र श्री नाथूलाल, जाति बैरवा, निवासी प्लॉट नम्बर–6, गौत्तम, जयपुर।
6. शंम्भूदयाल पुत्र श्री नाथूलाल, जाति बैरवा, निवासी प्लॉट नम्बर–6, गौतम नगर जयपुर।
7. तहसीलदार तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 14.10.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह तीनों अपीले न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर के आदेश दिनांक 22.06.2016 (प्रकरण संख्या 19/2014) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम खोरा तहसील बस्सी स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 8/1, 89/1, 103, 7/1, 90/1, 102 कुल किता 6 में से खसरा नम्बर 8/1, 89/1, 103 कुल कता 3 कुल रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा के मूल खातेदार धन्ना पुत्र रेवडिया बलाई है एवं खसरा नम्बर 7/1, 90/1, व 102 कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार छाज्या पुत्र चन्दा बलाई है तथा दोनों ही मूल खातेदारान के स्वर्गवास पर विरासत

P.T.O.

संभागीय आयुक्त जयपुर

का नामान्तरकरण खोले जाने का प्रार्थना पत्र अपीलार्थीगण शम्भूदयाल, घनश्याम पुत्रान नाथूलाल, ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनके पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक करने की इस्तदुआ की, अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत बासखोह द्वारा प्रमाणित सजरा खानदान, मृत्यु प्रमाण पत्र वर्ष 1972 की वोटर लिस्ट व हरिद्वार पण्डा का कुर्सीनामा व जागा की वंशावली वृक्ष तथा नकल जमाबन्दी मय शपथ पत्र पेश किये जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का बासखोह से रिपोर्ट तलबी की और पाया कि प्रार्थीगण ग्राम बासखोह में न रहकर जयपुर रहते है, तहसीलदार बस्सी ने प्रकरण काफी पुराना मानकर राज्य स्तर पर समाचर पत्र मे विज्ञप्ति साया करने का आदेश पारित कर विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 18.10.2014 को प्रकाशित करवाई गई जिस पर भगोती देवी पत्नी रामनाथ बलाई वगैरह ने आपत्ति पेश की जिन्हे राजस्व लोक अदालत अभियान में दिनांक 20.06.2016 को कैम्प बस्सी में सुना जाने का व उपस्थित होने का नोटिस दिया तथा अजनबी व्यक्ति धासी पुत्र कल्याण बलाई ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया उसको सुनकर साक्ष्य, सबूत का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2016 को पारित कर मृतक खातेदार की विरासत का नामान्तरकरण ड्रोप कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य राजस्व न्यायालय में विवाद, विवादित भूमि में हक, हकूक के सम्बन्ध मे लम्बित होना मानकर, अपने दायित्व व क्षेत्राधिकार का विधि सम्मत निर्वहन न कर विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही के लिये सक्षम सिविल न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत करने पर ही नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना न्याय संगत मानने में अहम कानूनी भूल की है क्योंकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि उत्तराधिकार कभी एवियेन्स में नही रहता है, खातेदार के स्वर्गवास पर तत्काल मृतक के वारिसान में निहित हो जाता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू की भी अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की तीनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2016 खारिज फरमाया जावें।

अपील संख्या 409/16 उनवान भगवती बनाम घासीराम के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ कथन किया है कि बैरवा जाति की मूल उत्पत्ति बलाई जाति से ही हुई है अर्थात बलाई व बैरवा जाति एक ही है, बैरवा जाति की उत्पत्ति बलाई समाज के सुधार के रूप मे आजादी से पूर्व हुई थी जिसे सन् 1956 में अनुसूचित जाति वर्ग में सम्मिलित किया गया था लेकिन बलाई और बैरवा जाति के लोगों में आपस में विवाह सम्बन्ध होते रहते है और आज भी होते है अतः यह कहना गलत है कि बैरवा व बलाई जाति अलग–अलग जाति है जबकि वास्तविकता यह है कि दोनों जातिया एक ही है जिससे स्पष्ट हो

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

जाता है कि प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 मूल रूप से बलाई जाति के ही है जो बाद में समाज सुधार को स्वीकार करते हुये बैरवा जाति में सम्मिलित हो गये। उन्होने आगे कथन किया है कि अखिल भारतीय बैरवा महासभा रजिस्टर्ड दिनांक 26.04.1946 नम्बर 672 में बलाई व बैरवा एक होने का विवरण दिया गया है, साथ ही हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (भूतपूर्व एम.एल.ए.) ने बैरवा जाति के सम्बन्ध में शास्त्रों का अध्ययन कर बैरवा जाति का नाम उजागर किया है एवं जमनालाल बैरवा, सोहनलाल बंशीवाल इत्यादि समाज सुधारको ने दौसा अधिवेशन 1956 मे अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें बलाई व बैरवा को एक होना दर्शाया है, सन् 1946 बैरवा महासभा रजिस्टर्ड नम्बर 672 एफ.जे.एम. का इतिहास मे लिखी बाते दर्शाती है कि पहले के समय में लोग बलाई लगाते थे, बलाई का उच्चारण व बोलचाल में चमार जाति को दर्शाता था जिसमें अलग–अलग गोत्र होत थे जब समाज के शुभचिन्तकों ने यह देखा कि समाज मे बोलचाल की शैलियों में कठीनाईयॉ हो रही है तो उन्होने आगे जाकर बैरवा नाम 1952–53 में राजस्थान व मध्य भारत मे अनुसूचित जाति में करवाया जिसके कारण लगातार उस समय से लेकर आज तक बलाई बैरवा लगाकर अपने आप को सम्बोधित कर रहे है जो दोनों ही एक है उनमें किसी भी तरह की कोई भिन्नता नही है, बलाई और बैरवा जाति एक ही है।

अपील संख्या 409/16 उनवान भगवती बनाम घासीराम के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 के अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण द्वारा पेश की गई वंशावली पूर्णतः गलत व सारहीन है क्योंकि प्रत्यर्थीगण की वंशावली से कई पूर्वजों का नाम ही प्रदर्शित नही है और इस अपील में पक्षकारान ने प्रत्यर्थीगण को पक्षकार तो बना दिया लेकिन उनके पिता व दादा का वंशावली में नाम प्रदर्शित नही कर अपीलार्थीगणों ने झूठी वंशावली स्वयं के पक्ष की पेश की है, असल वंशावली कार्यालय ग्राम पंचायत बासखोह पंचायत समिति बस्सी जिला जयपुर दिनांक 25.07.2008 ग्राम पंचायत के लेटर हैड पर है जिसमें सरपंच के भी हस्ताक्षर है, जो ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्तर पर पुराने रिकार्ड को देखकर बनाया गया। उन्होने कथन किया है कि प्रत्यर्थीगण के पूर्वज पूराने समय से इसी गांव में निवास कर रहे थे जहॉ उनके मकान मौजूदा उक्त विवादग्रस्त जमीन इन्ही की है जिसको दर्शाने के लिए भूतपूर्व समय 1971 के आस–पास की निर्वाचन विभाग द्वारा जारी की गई नामावली इनके दादा व पिता का सही नाम उल्लेखित है, राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग द्वारा पुराने समय की जारी की गयी निर्वाचन सूचियों की प्रति है जिनमे प्रत्यर्थीगण के दादा, परदादा व पिता के सही नाम उल्लेखित है, जो इस तथ्य को दर्शाते है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में जो वंशावली दर्शायी गई है वो किस तरह झूठी व गलत है इन निर्वाचन सूचीयों के दस्तावेजों द्वारा स्वयं अपने आम में ही सही रूप से सही नामावती में प्रदर्शित व जमीन में मालिकाना हक रखने वाले लोगों के नाम का पूर्णतः सही रूप दर्शायी है इस आधार पर यह भी प्रदर्शित होता है कि अपील में जो वंशावली में नाम गलत लिखे हुये है व कई नामा के आगे फौत लिखा हुआ है जबकि इन दस्तावेजातों मे उनके नाम व पिता के नाम स्पष्ट

P.T.O.

भागीय आयुक्त
जयपुर

रूप से सही व सत्यता को दर्शाते है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपीलें खारिज किया जाना लाजमी है और अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2016 को यथावत रखा जाना न्यायहित में अपेक्षित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट्स ग्राम पंचायत बासखोह द्वारा जारी अलग-अलग सजरा खानदान व रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत बासखाहं द्वारा जारी अलग-अलग मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार खातेदार धन्ना पुत्र रेवडिया बलाई व छाज्या पुत्र चन्दा बलाई के वारिस बताकर नामान्तरकरण खुलवाना चाहते है जबकि पटवारी हल्का झर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.06.2016 में उक्त खसरा नम्बरान का कई पीढी से नामान्तरकरण न खुलना व अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा वारिस बनना बताकर वास्तविक वारिसों की जानकारी न होना बताया है तथा उक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06. 2016 द्वारा वादग्रस्त आराजी के खातेदारान के वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही विरासत के नामान्तरकण की कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत मानते हुए उभयपक्ष के प्रार्थना पत्र खारिज किये गये है, जो उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की तीनों अपीलें खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2016 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।